उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:14/2016/178/छप्पन-16-88/2012
लखनऊ : दिनांक : 04 फरवरी, 2016
कार्यालय-ज्ञाप

राजकीय उड़ान प्रतिबद्वताओं की पूर्ति के लिए एक नये वायुयान के क्रय की कार्यवाही प्रचलित है। इस संबंध में निदेशालय द्वारा ग्लोबल "Expression of Interest" (EOI) के नोटिस का प्रकाशन भी किया गया है। उक्त EOI नोटिस के प्रकाशन के फलस्वरूप विभिन्न वायुयान निर्माताओं से EOI की प्राप्ति हुई है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन सिंगापुर में दिनांक 16 से 21 फरवरी, 2016 को होना है। इस एयर शो में विभिन्न वायुयान/ हेलीकॉप्टर निर्माताओं के द्वारा निर्मित वायुयान/ हेलीकॉप्टर का Static तथा Aerial Display किया जाता है तथा उनके प्रोडक्ट की विशिष्टियों एवं आंतरिक साज-सज्जा का भी Display किया जाता है। एयर शो में प्रतिभाग करने के लिए EOI में प्रतिभाग करने वाली एक निर्माता फर्म मै0 टैक्सट्रान एवियेशन, यू0एस0ए0 ने अपने ई-मेल द्वारा एयर शो में प्रतिभाग करने का अनुरोध किया है।

2- उक्तानुसार सिंगापुर में आयोजित एयर शो में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश/महानिदेशक, नागरिक उड्डयन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाना है, जो उक्त प्रदर्शनी में जाकर विभिन्न निर्माताओं के वायुयानों के बारे में जानकारी एवम् EOI में बताई गयी विशिष्टियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेगा। तदनुसार श्री राज्यपाल निम्नवत् एक उच्च स्तरीय दल का गठन करते हैं :-

(1) प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन/महानिदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0	अध्यक्ष
(2) सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन	सदस्य
(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य/संयोजक
(4) प्रबन्धक (परिचालन), नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य
(5) मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ	सदस्य

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा वायुयानों के चयन से सम्बन्धित कार्यवाही सम्पन्न कराये जाने हेतु उक्तानुसार गठित दल के सदस्यों की विदेश यात्रा आदि से सम्बन्धित आवश्यक औपचारिकताएं और अन्य आनुषंगिक कार्यवाही यथा-आवश्यकता शासन का अनुमोदन प्राप्त करते हुए सम्पादित करायी जायेगी।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 14/2016/178(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, नियुक्ति विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सचिव एवं प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन की विदेश यात्रा स्वीकृति विषयक आदेश नियुक्ति विभाग के स्तर से निर्गत कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव को प्रमुख सचिव/सचिव के सूचनार्थ।
3. महानिदेशक/निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0।
4. प्रबन्धक (परिचालन), नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in